

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/18

-- आवेश :-

जयपुर, दिनांक : 5 APR 2018

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम आवंटि	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित राजकीय आवास संख्या
1.	23/2002	श्री दीपक व्यास, सुरक्षा प्रहरी, कार्यालय, उप सचिव(प्रशासन), राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.01.2027	H-534 गांधीनगर
2.	45/2002	श्री लोकेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय, निदेशक सिंचाई भवन, लघु सिंचाई योजना, जयपुर	31.10.2043	H-565 गांधीनगर
3.	47/2002	श्री तेजा राम फर्राश पुत्र श्री बंशीलाल फर्राश कार्यालय, सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर उपखण्ड-2, जयपुर	30.11.2026	H-914 गांधीनगर
4.	48/2002	श्रीमती पुमन बैरवा पुत्री श्री गोपाल लाल बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय, उप निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर	1.8.2030	H-888 गांधीनगर
5.	51/2002	श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्री नंदालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय, उप निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग, जयपुर	31.5.2025	H-911 गांधीनगर
6.	51(A)/2002	श्रीमती रामपति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय, निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, 7, झालाना डूंगरी, जयपुर	30.11.2025	H-855 गांधीनगर
7.	52/2002	श्री अतीक मिया पुत्र श्री अबुल अजीज वार्ड ब्याय कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) जयपुरिया अस्पताल, जयपुर	31.12.2025	H-542 गांधीनगर
8.	54/2002	श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान दास शर्मा, वार्ड ब्याय कार्यालय, अधीक्षक जे.के. लॉन अस्पताल, जयपुर	31.10.2029	H-562 गांधीनगर
9.	55/2002	श्री विजयपाल हरिजन पुत्र श्री रामसहाय हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय विशिष्ट सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.10.2030	H-899 गांधीनगर
10.	58/2002	श्रीमती उर्मिला शर्मा पुत्री श्री प्रितन कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ग्रामीण, जयपुर	31.7.2030	H-517 गांधीनगर
11.	60/2002	श्रीमती मीता देवी शर्मा पुत्री श्री जगदीश आशरण शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय प्रधानाध्यापिका सिव्ही राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रत्नो राशन, जयपुर	30.9.2021	H-592 गांधीनगर

2.

12.	62/2002	श्री गणपत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय प्रावैधिक सहायक मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर	31.7.2030	H-579 गांधीनगर
13.	1/2003	श्री जगदीश कुमार चन्दुल पोटरी सहायक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	31.8.2021	H-887 गांधीनगर
14.	2/2003	श्री बाबूलाल शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर विभाग, जयपुर	31.7.2025	H-891 गांधीनगर
15.	3/2003	कु.मनभर कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	31.3.2039	H-913 गांधीनगर
16.	3(A)/2003	श्री मोहन लाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	30.4.2019	H-906 गांधीनगर
17.	4/2003	श्री भागीरथ प्रसाद यादव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भू-प्रबन्धक विभाग, जयपुर	31.7.2030	H-536 गांधीनगर
18.	4(A)/2003	श्री महेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इंदिरा गांधी नहर मण्डल परियोजना विभाग, जयपुर	31.8.2023	H-586 गांधीनगर
19.	5/2003	श्री सहीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर	30.9.2025	VI-1 गांधीनगर
20.	5(B)/2003	श्री नरेन्द्र सिंह क्लीनर राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर	30.6.2030	H-890 गांधीनगर
21.	5(I)/2003	श्री राजेन्द्र शर्मा प्रेसमैन कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (सूचना) विभाग, जयपुर	30.9.2023	H-894 गांधीनगर
22.	7/2003	श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी राजकीय वादकरण विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	30.9.2034	H-904 गांधीनगर
23.	8/2003	श्री अमर सिंह वाड बॉय महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर	31.10.2021	H-885 गांधीनगर
24.	8(A)/2003	श्री गोपाल लाल नायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लघु सिंचाई योजनाएं, जयपुर	31.1.2025	H-900 गांधीनगर
25.	9/2003	श्री संतोष सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन जयपुर	30.4.2028	H-865 गांधीनगर
26.	9(B)/2003	श्री लालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय विभाग राजस्थान जयपुर	30.4.2033	H-903 गांधीनगर
27.	14/2005	श्री सुरेश चंद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रशासनिक सुधार अनुभाग-3 विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.01.2042	H-548 गांधीनगर
28.	22/2008	श्रीमती प्रिया चौहान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ए.एन.आर.पी. पी.एच.ई.डी. शासन सचिवालय, जयपुर	30.9.2033	H-532 गांधीनगर
29.	23/2008	श्री विपिन कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2044	H-659 गांधीनगर
30.	24/2008	श्री नानग राम मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.4.2033	H-541 गांधीनगर

2

31.	6/2010	श्री लक्ष्मणराज पुत्र रम. श्री भैराल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवस्थान विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.3.2044	H-872 गांधीनगर
32.	25/2010	श्री रामजी लाल पुत्र श्री किशन लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उर्जा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2022	H-595 गांधीनगर
33.	27/2010	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री धन्ना लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-3/जांच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2038	H-540 गांधीनगर
34.	28/2010	श्री तारा चंद पुत्र श्री पांवू राम कार्यालय गृह मंत्री, शासन सचिवालय जयपुर	31.12.2030	H-860 गांधीनगर
35.	11/2011	श्री बाला राम पुत्र श्री तेज सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	30.6.2021	H-656 गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुरारण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. उप सचिव प्रशासन राजस्थान विधानसभा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक सिंचाई भवन लघु सिंचाई योजना जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उपखण्ड-2 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, 7, झालाना डूंगरी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक, जे.के. लॉन अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

12. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं मत्पायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. प्रधानाध्यापिका, सिन्धी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रेलवे स्टेशन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. प्रावैधिक सहायक, मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. प्रभारी अधिकारी (संस्था पन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. आयुक्त, भू-प्रबंधक विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर मण्डल परियोजना विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. उपखण्ड अधिकारी, अमेर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. संयुक्त निदेशक, कृषि (सूचना) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
22. निदेशक, राजकीय वादकरण विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
23. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
24. मुख्य अभियंता, जयु सिंचाई योजनाएं/सिंचाई विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
25. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
26. उप शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
27. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
28. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली का राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
29. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यदाई सुनिश्चित करावें।
30. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
31. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
32. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
33. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
34. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
35. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्कल, जयपुर।
36. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवायें।
37. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
38. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
39. रक्षित पत्र वली।


उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर